न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी(आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 10/18

उनवान

1 हुमा राहत पत्नी राहत खान जाति मुसलमान नि. 14/34, चूनपचान गली नला बाजार, अजमेर।
2. युनुस खान पुत्र हुसैन खान जाति मुसलमान नि. मोतीकटला, इकबाल होटल, दरगाह बाजार, अजमेर।
-- प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री ज्वाला प्रसाद मेहरा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
-- अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 सी.पी. सी.

-: आदेश :- दिनांक :- 5.9.17

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवेरा के आराजी खसरा नम्बर 860 रकबा 0.81 प्रार्थीगण की खातेदारी का है। उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण द्वारा रेकार्डेड खातेदार से जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। खसरा नम्बर 860 रकबा 0.41 पूर्वी भाग प्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण संख्या 365 दिनांक 7.1.13 द्वारा व खसरा नम्बर 860 रकबा 0.40 प्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण संख्या 365 दिनांक 7.1.13 द्वारा दर्ज किया गया। प्रार्थी संख्या 1 की खरीदशुदा आराजी को राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 860/1 रकबा 0.41 व प्रार्थी संख्या 2 की खरीदशुदा आराजी को राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 860/2 रकबा 0.40 दर्ज किया गया।

हाल राजस्व मानचित्र में भू प्रबंध विभाग ने खसरा नम्बर 860 को कम अंकित कर दिया है। प्रार्थी की खातेदारी खेत 860/2 का रकबा सिवायचक आराजी जो प्रार्थीगण की खातेदारी के तीन तरफ स्थित है। में मिला दिया है व प्रार्थीगण की खेत की सीमा गलत अंकित कर दी है। जबकि पुराने राजस्व अभिलेख में वंर्किग खसरा नम्बर 704 में प्रार्थीगण के खेतो की सीमा सही अंकित थी।

अतः आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थीगण के खेत का रकबा सही अंकित किया जावे।

न्याय आपके द्वार अभियान कैम्प लवेरा में आराजी मुतनाजा की मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पेश की गयी।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा के समीप स्थित खसरा नम्बर 860/2621 सिवायचक है व वर्तमान मानचित्र सही होने से प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का वंर्किग व हाल मानचित्र की तुलना करने पर त्रुटि स्पष्ट रूप से दिखती है। मौका रिपोर्ट में भी हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने का कथन है। मात्र सिवायचक भूमि पास में होने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज नही किया सकता है। आराजी मुतनजा का रकबा जमाबंदी व मौके पर सही है, राजस्व मानचित्र में भी जमाबंदी अनुसार रकबा दर्ज करने से अप्रार्थी के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस अपने जवाब के कथनो को ही दोहराया।

--2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की कयशुदा है। जिसका रकबा जमाबंदी में सही अंकित है। एवं मौके पर प्रार्थी जमाबंदी में अंकित रकबे पर ही काबिज है। मौका रिपोर्ट अनुसार हाल व वर्किंग मानचित्र की तुलना करने पर आराजी मुतनाजा का हाल अंकन त्रुटिपूर्ण है। वादग्रस्त आराजी के समीप स्थित खसरा नम्बर 860/2621 में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का रकबा दर्ज है। राज0 पैरोकार का कथन है कि खसरा नम्बर 860/2621 सिवायचक दर्ज है किन्तु मात्र भूमि सिवाचक होने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज नही किया जा सकता जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। उक्तानुसार त्रुटि दुरूस्त करने से जमाबंदी व राजस्व मानचित्र में सिवायचक आराजी का रकबा भी कम नही होगा। राज0 पैरोकार ने अपने जवाब में ऐसे कोई तथ्य अंकित नही किये है जिससे प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन होता हो। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।** प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से अप्रार्थी के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा।

अतः ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 860 पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के हाल व वर्किंग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त कर राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद